रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1564] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 24, 2015/श्रावण 2, 1937
No. 1564] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 24, 2015/SHRAVANA 2, 1937

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2015

का.आ. 2041(अ),—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के जल भूतल परिवहन मंत्रालय (सड़क स्कंध) की निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा निम्नलिखित खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्राधिकरण' संदर्भित किया गया है) को सौंपे हैं;

क्रम संख्या	खण्ड	सेक्षन	सौंपने संबंधी अधिसूचना निम्नलिखित द्वारा प्रकाषित की गई
1.	रारा–37 का 156.500 कि.मी. से 164.395 कि.मी तक	गुवाहाटी बाइपास सेक्षन	का.आ. 196(अ), तारीख 06.03.2000
2.	रारा–37 का 164.395 कि.मी. से 274.000 कि.मी तक	नगांव से गुवाहाटी सेक्षन (गुवाहाटी बाइपास सहित)	का.आ. 465(अ), तारीख 26.04.2002
3.	रारा–37 का 0.000 कि.मी. से 15.943 कि.मी तक	नगांव बाइपास	नया खण्ड
4.	रारा–36 का 0.000 कि.मी. से 38.000 कि.मी तक	डाबोका नगांव	का.आ. 465(अ), तारीख 26.04.2002
5..	रारा–54/54ई का 0.000 कि.मी. से 309.000 कि.मी तक	सिल्चर से हाफलोंग से लंका से डाबोका सेक्षन (असम राज्य में)	का.आ. 465(अ), तारीख 26.04.2002

और यतः, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजमार्गों, स्थायी पुलों, बाइपासों और सुरंगों के उपयोग के लिए शुल्क का संग्रहण करने हेतु सा.का.नि. 838(अ), तारीख 5.12.2008 द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 बनाए हैं और इनमें सा.का.नि. 950(अ), तारीख 3.12.2010, सा.का.नि. 15(अ), तारीख 12.1.2011, सा.का.नि. 756(अ), तारीख 12.10.2011, सा.का.नि. 778(अ), तारीख 16.12. 2013, सा.का.नि. 26(अ), तारीख 16.01.2014, सा.का.नि. 831(अ), तारीख 21.11.2014 और सा.कि.नि 220(अ), तारीख 23.03.2015 द्वारा संषोधित किए हैं।

और यतः, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के नियम (3) के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ओ एम टी आधार पर, असम राज्य में गुवाहाटी बाइपास से रारा–37,36 और 54/54ई के गुवाहाटी बाइपास–नगांव–डाबोका–उडौली सेक्षन और 163.90 कि.मी. से 262.725 कि.मी. तक (रारा–37), 0.000 कि.मी. से 15.943 कि.मी. तक (रारा–37), 5.500 कि.मी. से 35.862 कि.मी. तक (रारा–36), 0.000 कि.मी. से 40.000 कि.मी. तक (रारा–54/54ई) के खण्ड के उपयोग के लिए भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का.आ. 229(अ), तारीख 23.01.2015 द्वारा प्राधिकरण द्वारा घोषित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को और उस तारीख से करार में यथाविनिर्दिष्ट समापन की तारीख तक यांत्रिक वाहनों पर शुल्क उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत करने हेतु रियायतग्राही मैसर्स नार्थ ईस्ट टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड, अंधेरी (ईस्ट) मुम्बई को प्राधिकृत किया था।

और यतः, प्राधिकरण द्वारा 25.03.2015 को ओएमटी रियायत करार को समाप्त कर दिए जाने के कारण ओएमटी रियायत करार को समाप्त कर दिया गया था।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, समय–समय पर यथा–संषोधित राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त नियम" संदर्भित किया गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और अधिसूचना संख्या का.आ. 229(अ) तारीख 23.01.2015 का अधिक्रमण करते हुए, सिवाय उन बातों के जो ऐसे अधिक्रमण से पहले कर ली गई है अथवा करने से लोप करा दी गई है, एतद्द्वारा सड़क खण्ड की निवल लम्बाई 166.164 कि.मी. (60 मीटर से अधिक की लम्बाई वाली 1.237 कि. मी. की संरचनाओं को छोड़कर, समकक्ष लम्बाई 12.37 कि.मी. सहित) हेतु चार या अधिक लेन के सेक्षनों के उपयोग के लिए सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर पर (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''आधार दर" संदर्भित किया गया है) और 37.761 कि.मी. की कुल लम्बाई वाले बाइपासों, जिनमें से प्रत्येक बाइपास की लागत दस करोड़ रुपए या अधिक है, के उपयोग के लिए नीचे सारणी 1 के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर आधार दर के डेढ़ गुना के हिसाब से शुल्क उद्ग्रहीत करती है और प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने हेतु प्राधिकृत करती है, अर्थात;–

सारणी 1

वाहन का श्रेणी	आधार वर्ष 2007–08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (भा.सं.म.) या अर्थ मूविंग उपस्कर (अ.मू.उ.) या बहुधुरीय वाहन (ब.धु.वा.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित टोल प्लाजाओं पर, ऐसे प्रत्येक टोल प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट दूरी हेतु, शोध्य और संदेय होगा।

क्रम संख्या	टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	लम्बाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है
1.	कामरूप जिले (एम) में गांव नजिराखाट के पास रारा–37 पर 179.600 कि.मी. पर	40.851 कि.मी. (गुवाहाटी बाइपास की 17.895 कि.मी. लम्बाई और संरचना की 0.354 कि.मी. लम्बाई को छोड़कर)	ऊपर सारणी–1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
2.	नगांव जिले में गांव राहा (सारागांव) के पास रारा–37 पर 254.514 कि.मी. पर	57.132 कि.मी. (नगांव बाइपास की 15.726 कि. मी लम्बाई और संरचना की 0.810 लम्बाई को छोड़कर)	
3.	नगांव जिले में डाबोका गांव के पास रारा–54ई पर 15.652 कि.मी. पर	68.181 कि.मी. (डाबोका बाइपास की 4.140 कि.मी. लम्बाई और संरचना की 0.073 कि.मी. लम्बाई को छोड़कर)	

IndiaCode

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित बाइपास (बाइपासों), जिनकी लागत 10 करोड़ रुपए से अधिक है, के उपयोग के लिए निम्नलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट बाइपास (बाइपासों) की लम्बाई हेतु, ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित आधार दर के डेढ़ गुना के हिसाब से निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगाः

क्रम संख्या	टोल प्लाजा (प्लाजाओं) का अवस्थान (चैनेज)	बाइपास का नाम	बाइपासों की लम्बाई (कि.मी. में) जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है
1.	कामरूप जिले (एम) में गांव नजिराखाट के पास रारा–37 पर 179.600 कि.मी. पर	गुवाहाटी (146.000 कि.मी. से 163.895 कि.मी. तक)	17.895	ऊपर सारणी–1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%
2.	नगांव जिले में गांव राहा (सारागांव) के पास रारा–37 पर 254.514 कि.मी. पर	नगांव (2.62.725 कि.मी. से 278.668 कि.मी. तक)	15.726 (15.943 कि.मी. के ऐसे बाइपासों पर पड़ने वाली संरचना की 0.217 कि.मी. लम्बाई को छोड़कर)	
3.	नगांव जिले में डाबोका गांव के पास रारा–54ई पर 15.652 कि.मी. पर	डाबोका (0.000 कि.मी. से 4.140 कि.मी. तक)	4.14	

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित संरचनाओं, जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए भी संरचनाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित करते हुए, निम्नलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं) पर निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा।

क्रम संख्या	टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	सड़क की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित किए जाने वाली संरचनाओं * की लम्बाई (कि.मी. में)	सड़क की समकक्ष लम्बाई (कि.मी. में)	दर जिस पर शुल्क संदेय है
1.	कामरूप जिले (एम) में गांव नजिराखाट के पास रारा–37 पर 179.600 कि.मी. पर	0.354	3.54	ऊपर सारणी–1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
2.	नगांव जिले में गांव राहा के पास रारा–37 पर 254.514 कि. मी. पर	0.810	8.10	
3.	नगांव जिले में डाबोका गांव के पास रारा–54ई पर 15.652 कि.मी. पर	0.073	0.73	

* 60 मीटर से अधिक की लम्बाई वाली संरचनाओं का ब्यौरा निम्न प्रकार हैः–

क्रम संख्या	टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	संरचना की प्रकृति	सड़क की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित किए जाने वाली संरचनाओं की लम्बाई (कि.मी. में)	सड़क की समकक्ष लम्बाई (कि.मी. में)
1.	कामरूप (एम) जिले में गांव नजिराखाट के पास रारा–37 पर 179.600 कि.मी. पर	बड़ा पुल (चैनेज 164.396)	0.105	1.05
		बड़ा पुल (चैनेज 183.673)	0.1335**	1.335
		बड़ा पुल (चैनेज 184.565)	0.1155**	1.155
2.	नगांव जिले में गांव राहा के पास रारा–37 पर 254.514 कि.मी. पर	बड़ा पुल (चैनेज 216.422)	0.089	0.89
		बड़ा पुल (चैनेज 220.026)	0.1024	1.024

		बड़ा पुल (चैनेज 231.076)	0.14275	1.4275
		बड़ा पुल (चैनेज 250.786)	0.075	0.75
		बड़ा पुल (चैनेज 252.807)	0.0625	0.625
		बड़ा पुल (चैनेज 254.316)	0.0602	0.602
		बड़ा पुल (चैनेज 262.010)	0.06125	0.6125
		बड़ा पुल (चैनेज 266.609)	0.120	1.2
		आर ओ बी (चैनेज 276.839)	0.097	0.97
3.	नगांव जिले में डाबोका गांव के पास रारा–54ई पर 15. 652 कि.मी. पर	बड़ा पुल (चैनेज 000.150)	0.0732	0.732

**निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद अपूर्ण सेक्षन साइट का हिस्सा बन जाएंगे।

4. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर–वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष 2015–16 के लिए मासिक पास की दर 230.00/– रुपए (दो सौ तीस रुपए मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा ।

5. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो–तिहाई	पचास	संदाय की समय से एक मास

6. जिस जिले में टोल प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के लिए वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते के ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो ।

7. जो यांत्रिक वाहन,ऐसे वाहनों के संबंध में निर्धारित अनुज्ञेय अधिकतम कुल वाहन भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेष कराने के लिए टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसे यांत्रिक वाहन की श्रेणी के लिए लागू शुल्क के दस गुना के बराबर शुल्क का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खण्ड का तब तक उपयोग नहीं करने दिया जाएगा जब तक कि ऐसे यांत्रक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया गया हो।

8. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट–प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं उक्त नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी ।

9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा ।

10. ऊपर सारणी–1 में यथा–उल्लिखित, आधार वर्ष 2007–08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर पर आधारित यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और छूट की गणना खण्डों की पूरी कर ली गई लम्बाई के आधार पर प्राधिकरण द्वारा की जाएगी और उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार उसमें वार्षिक तौर पर संषोधन किया जाएगा और तदनुसार, उसे अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम–से–कम एक–एक समाचार पत्र में प्रकाषित किया जाएगा।

11. परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 2547.92 करोड़ रुपए है (अर्थात् नजिराखाट टोल प्लाजा के अन्तर्गत प्रभावी लम्बाई के लिए 773.18 करोड़ रुपए, राहा टोल प्लाजा के अन्तर्गत प्रभावी लम्बाई के लिए 1036.12 करोड़ रुपए और डाबोका टोल प्लाजा के अन्तर्गत प्रभावी लम्बाई के लिए 738.62 करोड़ रुपए)। पूंजीगत लागत परिवर्तन के अध्यधीन है क्योंकि भूमि अर्जन, जन उपयोगी सुविधाओं के स्थानांतरण, पेड़ काटने आदि के कार्यकलाप अभी पूरे किए जाने बाकी हैं। अंतिम पूंजीगत लागत अलग–से सूचित की जाएगी। प्राधिकरण द्वारा उपयोगकर्ताओं से वसूल किए गए शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकार्ड रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के पश्चात्, लगाए जाने वाले शुल्क की दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इसमें वार्षिक तौर पर संषोधन किया जाएगा।

[फा. सं. भाराराप्रा / 13013 / 547 / 14–15 / सीओ / जीसी गुवाहाटी बाइपास–नगांव–डाबोका–उडॉली]

अलकेश शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th July, 2015

S.O. 2041(E).—Whereas, vide notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Surface Transport (Roads Wing), following numbers

S. No.	Stretch	Section	Entrustment notification published vide
1	Km 156.500 to km 164.395 of NH-37	Guwahati Bypass section	S.O. 196(E) dated 06.03.2000
2	Km 164.395 to km 274.000 of NH-37	Nagao to Guwahati section (including Guwahati bypass)	S.O. 465(E) dated 26.04.2002
3	KM. 0.000 to Km. 15.943 of NH-37	Nagaon Bypass	New Stretch
4	Km 0.000 – Km 38.000 of NH-36	Daboka-Nagaon	S.O. 465(E) dated 26.04.2002
5	Km. 0.000 to Km. 309.000 of NH-54/54E	Silchar to Haflong to Lanka to Daboka Section (in the state of Assam)	S.O. 465(E) dated 26.04.2002

Issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch (above) to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the Authority)

And whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by section 9 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) has framed the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, vide G.S.R. 838 (E) dated 05.12.2008 and amended vide G.S.Rs 950(E) dated 03.12.2010, G.S.R 15(E) dated 12.01.2011, G.S.R 756(E) dated 12.10.2011, GSR 778(E) dated 16.12.2013, G.S.R 26(E) dated 16.01.2014, G.S.R. 831(E) dated 21.11.2014 and G.S.R. 220(E) dated 23.03.2015 for collection of fee for use of sections of national highways, permanent bridges, bypasses and tunnels.

And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 14 of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) read with Rule (3) of the National Highway Fee (Determination of Rates and Collection) Rules 2008, the Central Government by notification of the Government of India vide S.O. No. 229 (E) dated 23.01.2015 authorized the Concessionaire M/s Northeast Tollways Private Limited, Andheri East, Mumbai for levying and collecting fee on mechanical vehicles for the use of the stretch on Guwahati Bypass-Nagaon-Daboka-Udauli section of NH-37, 36 & 54/54E from Guwahati Bypass and from Km. 163.90 to 262.725 (NH-37), from Km. 0.000 to Km. 15.943 (NH-37), from Km. 5.500 to Km. 35.862 (NH-36) , from Km. 0.000 to Km. 40.000 (NH-54/54E) in the state of Assam on OMT basis on and from the Date of Commercial Operation declared by the Authority and till the termination date as specified in the Agreement.

And whereas, The OMT Concession Agreement was foreclosed on account of termination of OMT Concession Agreement by the Authority on 25.03.2015.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 and amended from time to time (hereinafter referred to as the "said Rules"), and in supersession of the notification number S.O. 229 (E) dated 23.01.2015, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby levies the fee at the base rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 166.164 km (excluding 1.237 Km of structure having length more than 60 m with equivalent length of 12.37 Km) for use of the four & more lane sections(hereinafter referred to as "base rate") and one and half times of base rate for bypasses having an aggregate length of 37.761 Km costing each Bypass Rupees Ten Crore or more on the type of

vehicles specified in column(1) of Table 1 below and authorizes the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

TABLE 1

Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three – axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plazas for the distance specified for each such Toll Plaza:

S. No.	**Location of Toll Plaza (chainage)**	**Length (in km) for which Fee is payable**	Rate at which fee is payable
1	At km 179.600 on NH-37 near village NaziraKhat in Dist. Kamrup (M)	40.851 Km (excluding 17.895 km length of Guwahati Bypass and 0.354 km. length of structure)	100% of the base rates mentioned in Table 1 above
2	At km 254.514 on NH-37 near village Raha (Saragaon) in Dist. Nagaon	57.132 Km (excluding 15.726 km length of Nagaon Bypass and 0.810 km. length of structure)	
3	At km 15.652 on NH-54E near village Daboka in Dist. Nagaon	68.181 Km (excluding 4.140 km length of Daboka Bypass and 0.073 km. length of structure)	

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following bypass(es) costing more than Rs. 10 crores at the following Toll Plaza(s) at one and half times of the base rate mentioned in Table-1 above for the length of bypass(es) specified for such Toll Plaza(s):

S. No.	Location of Toll Plaza(s) (chainage)	Name of the Bypass	Length of bypass (in km) for which additional fee is payable	Rate at which fee is payable
1	At km 179.600 on NH-37 near village NaziraKhat in Dist. Kamrup (M)	Guwahati (Km. 146.000 to Km. 163.895)	17.895	150% of the base rates mentioned in Table 1 above
2	At km 254.514 on NH-37 near village Raha (Saragaon) in Dist. Nagaon	Nagaon (Km. 262.725 to Km. 278.668)	15.726 (excluding 0.217 Km. length of structures falling in such bypass of 15.943 Km.)	
3	At km 15.652 on NH-54E near village Daboka in Dist. Nagaon	Daboka (Km. 0.000 to Km. 4.140)	4.14	

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Toll Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10:

S. No.	Location of Toll Plaza (chainage)	Length of structures* (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent Road length (in km)	Rate at which fee is payable
1.	At km 179.600 on NH-37 near village NaziraKhat in Dist. Kamrup (M)	0.354	3.54	100% of the base rates mentioned in Table 1 above
2	At km 254.514 on NH-37 near village Raha in Dist. Nagaon	0.810	8.10	
3.	At km 15.652 on NH-54E near village Daboka in Dist. Nagaon	0.073	0.73	

*Details of structures of length >60 m is as under:

S. No.	Location of Toll Plaza (chainage)	Nature of Structure	Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent Road length (in km)
1.	At km 179.600 on NH-37 near village NaziraKhat in Dist. Kamrup (M)	Major Bridge (chainage 164.396)	0.105	1.05
		Major Bridge (chainage 183.673)	0.1335**	1.335
		Major Bridge (chainage 184.565)	0.1155**	1.155
2	At km 254.514 on NH-37 near village Raha in Dist. Nagaon	Major Bridge (chainage 216.422)	0.089	0.89
		Major Bridge (chainage 220.026)	0.1024	1.024
		Major Bridge (chainage 231.076)	0.14275	1.4275
		Major Bridge (chainage 250.786)	0.075	0.75
		Major Bridge (chainage 252.807)	0.0625	0.625
		Major Bridge (chainage 254.316)	0.0602	0.602
		Major Bridge (chainage 262.010)	0.06125	0.6125
		Major Bridge (chainage 266.609)	0.120	1.2
		ROB (chainage 276.839)	0.097	0.97
3.	At km 15.652 on NH-54E near village Daboka in Dist. Nagaon	Major Bridge (chainage 000.150)	0.0732	0.732

**incomplete sections will become part of site after completion of construction.

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non- commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the toll plaza is Rs. 230.00 (Rupees Two Hundred Thirty only) for the year 2015-16, and is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under national permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicle.

7. The driver or owner or a person in charge of a Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible maximum gross vehicle weight in respect of such vehicle, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the toll collecting agency, equal to ten times of the fee applicable to such category of mechanical vehicle and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle

8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the said Rules.

9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with Rule 12 of the said Rules.

IndiaCode

10. Based on the Base Rate of Fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the sections and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper, each in English and vernacular language accordingly.

11. The estimated capital cost of the project is Rupees 2547.92 Crore (i.e Rs. 773.18 Cr. for influence length under Nazirakhat Toll Plaza, Rs. 1036.12 Cr. for influence length under Raha Toll Plaza and Rs. 738.62 Cr. for influence length under Daboka Toll Plaza). The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting etc. are yet to be completed. The final capital cost will be notified separately. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realized and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. NHAI/13013/547/14-15/CO/GC- Guwahati bypass–Nagaon –Daboka-Udauli]

ALKESH SHARMA, Jt. Secy.

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.